न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0 संख्याः-725/2018
विचारण संख्या-2448/2019
ओबरा थाना कांड संख्याः-171/2018

16.05.2019 आवेदक टेम्पु निबंधन संख्या-BR24P8186 का स्वामी अखिलेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-04.10.2018 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-04.10.2018 के आलोक में आवेदक अखिलेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त टेम्पु निबंधन सं0-BR24P8186 ओबरा थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का आदेश, आवेदक अक्षरशः पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त टेम्पु निबंधन सं0-BR24P8186 ओबरा थाना में जप्त है। उक्त वाद में अनुसंधानक के द्वारा आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है । वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में, सम्बन्धित थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि " उक्त वाहन को मुक्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है" । उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी रोहतास के द्वारा ज्ञापांक-1330/परि0 दिनांक-05.11.2018 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी अखिलेश कुमार, वाहन का निबंधन सं0-BR24P8186, इंजन संख्या-BBZWFH28157, चेसिस संख्या-MD2A41AZ0FWH28772 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन के अनुसार ही है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक-10.01.2018 तक यानी वैधता समाप्त हो गई है, कर की वैधता दिनांक-10.01.2026 तक, परमिट की वैधता दिनांक-04.02.2023 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः-29.09.2019 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखाते हुए उक्त आवेदक अखिलेश कुमार के पक्ष में उक्त जप्त टेम्पु निबंधन संख्या-BR24P8186, इंजन संख्या-BBZWFH28157, चेसिस संख्या-MD2A41AZ0FWH28772 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदक अखिलेश कुमार के पक्ष में उक्त टेम्पु निबंधन संख्या-BR24P8186 को मो0-3,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा निर्गत रोड परमिट की निर्गत प्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि वह वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, वाहन मुक्ति के एक माह के अंदर उक्त वाहन का अद्यतन तंदुरूस्ती पत्र की छायाप्रति दाखिल करेगा एवं वाहन से सम्बन्धित जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।